भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 574
जिसका उत्तर 23 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
1 श्रावण, 1947 (शक)

डीपसीक एआई के साथ डेटा निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

574. श्री मनीश तिवारीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार डीपसीक एआई एप्लीकेशन से जुड़ी डेटा निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत है, जैसा कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रेखांकित किया गया है;
(ख) डीपसीक एआई के डेटा भंडारण, प्रसंस्करण और सुरक्षा प्रथाओं, विशेष रूप से भारतीय उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा के संबंध में, का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, का ब्यौरा क्या है;
(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा और उपयोगकर्ता डेटा निजता की रक्षा के लिए अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, देश में डीपसीक एआई एप्लीकेशन पर प्रतिबंध नहीं लगाने के क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कोई परामर्श जारी करने या विनियामक उपाय करने का विचार है कि भारतीय नागरिकों के डेटा का ऐसे एप्लीकेशन के माध्यम से संभावित दुरुपयोग नहीं हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत की एआई रणनीति माननीय प्रधानमंत्री के प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत-केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना और सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोज़गार के अवसर पैदा करना है।

<u>वर्तमान में भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र:</u>

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र है। यह 250 बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 6 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।
स्टैनफोर्ड एआई रैंकिंग जैसी वैश्विक रैंकिंग एजेंसी भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और एआई उपयोग से जुड़ी नीतियों के मामले में शीर्ष देशों में रखती है। भारत गिटहब एआई परियोजनाओं में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, जो इसके जीवंत डेवलपर समुदाय को दर्शाता है।

<u>भारत की एआई रणनीति:</u>

भारत की एआई रणनीति का उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है। सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन शुरू किया। यह सात प्रमुख स्तंभों के माध्यम से भारत के विकास

लक्ष्यों के अनुरूप एक सुदृढ़ और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की एक रणनीतिक पहल है।

ओपन-सोर्स एआई मॉडल को होस्ट करना:

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीडैक-पुणे द्वारा प्रबंधित एआईरावत कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओपन-सोर्स एआई मॉडल होस्ट करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में, एलएलएएमए परिवार के तीन ओपन-सोर्स मॉडल परिनियोजित किए जा चुके हैं और डेवलपर समुदाय के लिए एपीआई के माध्यम से शुल्क-आधारित उपलब्ध हैं।

आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान:

- धारा 66ग (आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए दंड) गलत सूचना, डीपफेक, छद्मवेश द्वारा धोखाधड़ी या आइडेंटिटी थेफ्ट से संबंधित है।
- आईटी अधिनियम की धारा 66घ प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग को अपराध घोषित करती है।
- धारा 66ङ में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी भाग के चित्र को कैप्चर करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान है।
- धारा 67क और 67ख के अंतर्गत अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जो डीपफेक तकनीक का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है, दंडनीय अपराध है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान:

- बीएनएस की धारा 111 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से आर्थिक अपराध, साइबर अपराध सहित किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को जारी रखने पर दंडित करती है।
- बीएनएस के अंतर्गत कई अन्य धाराएं भी धोखाधड़ी या छद्म रूप में धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों से निपटती हैं, जैसे धारा 318 (धोखाधड़ी), 319 (छद्म रूप में धोखाधड़ी), 353 (सार्वजनिक शरारत), 356 (मानहानि)।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

- यह डेटा फिड्युशरीज़ पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने का दायित्व डालता है, उन्हें जवाबदेह बनाता है, साथ ही डेटा प्रिंसिपल्स के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021")

- केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद आईटी नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

- आईटी नियमों में सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्लेटफार्मों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डाले गए हैं, ताकि वे सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें, जिसमें निषिद्ध गलत सूचना, स्पष्ट रूप से झूठी सूचना और डीपफेक को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई भी शामिल है।
- यदि मध्यस्थ कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे मौजूदा कानूनों के अंतर्गत परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।
- आईटी नियम 2021 के अंतर्गत, मध्यस्थों द्वारा शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पीड़ित को प्रभावित करने वाली विकृत या कृत्रिम रूप से उत्पन्न चित्रों से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए 24 घंटे की समय-सीमा प्रदान करता है। शिकायत निवारण से संतुष्ट न होने पर, पीड़ित व्यक्ति शिकायत अपील समिति से संपर्क कर सकते हैं।
- गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक समर्पित पोर्टल [cybercrime.gov.in] लॉन्च किया है और एक टोल-फ्री नंबर 1930 भी शुरू किया है।

<u>भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) की एडवायज़री/दिशानिर्देश:</u>

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित अनुप्रयोगों से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल खतरों को कम करने के लिए सुरक्षा उपायों पर एक एडवाइजरी मई 2023 में प्रकाशित की गई थी।
- सितंबर 2024 में सर्ट-इन और एसआईएसए द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रमाणित सुरक्षा पेशेवर (सीएसपीएआई) कार्यक्रम शुरू किया गया।
- जनरेटिव एआई समाधानों के प्रभावी और जिम्मेदार उपयोग के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों को दर्शाने वाली एक एडवाइजरी मार्च 2025 में प्रकाशित की गई थी।
- जुलाई 2025 में सॉफ्टवेयर और उभरती प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम एवं क्रिप्टोग्राफी आवश्यकताओं के लिए बिल ऑफ मैटेरियल्स (बीओएम) हेतु तकनीकी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- सीएसपीएआई कार्यक्रम साइबर सुरक्षा पेशेवरों को एआई प्रणालियों को सुरक्षित करने, एआई से संबंधित खतरों का सक्रिय रूप से समाधान करने और व्यावसायिक वातावरण में विश्वसनीय एआई परिनियोजन सुनिश्चित करने के कौशल से लैस करता है।

सरकार ने प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में भारत-विशिष्ट नियामक एआई अवसंरचना के लिए एआई पर एक सलाहकार समूह का गठन किया है। इसमें शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विभिन्न हितधारकों के सदस्य शामिल हैं।

*****